

**अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेवापूर्व)की उन्नति****प्रा. डॉ. शर्मिला भाऊसाहेब पारधे****विद्या प्रतिष्ठान (महाराष्ट्र)संचालित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय अहमदनगर.***Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com***प्रस्तावना**

भारत में अध्यापक शिक्षा को विद्यालयी व्यवस्था के साथ ही विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पुनर्संरचित, पुनर्संगठित तथा पुननिर्मित करना होगा। विश्वविद्यालय तथा एन.सी.टी.ई. जैसे अन्य अभिकरणों द्वारा अध्यापक शिक्षा के एकाधिक मॉडल विकसित करने होंगे। अपनाए गए नवाचारी मॉडल अध्यापक शिक्षा के साथ ही उन व्यावसायिकों की दृष्टि से सार्थक होने चाहिए जो अन्तः शास्त्रीयता, व्यापक दृष्टिकोण, लक्ष्य, चेतना तथा प्रतिबद्धता से युक्त हों। इनके द्वारा अध्यापक शिक्षा के स्तर में अभिवृद्धि होगी तथा व्यावसायिक दक्षताएँ विकसित होंगी। ऐसे मॉडलों का दूसरा सार्थक लक्षण यह होगा कि वे व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी होंगे। पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा विश्वविद्यालय तथा उनकी विविध शैक्षिक समितियों द्वारा विकसित की जाएगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रवेश योग्यता के साथ ही अवधि का भी सही प्रकार से निर्धारण किया जाए। अध्यापक शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं तथा इन संस्थानों में कार्यरत अध्यापक शिक्षक की व्यावसायिक तैयारी के बीच बेमेल स्थिती का भी निराकरण किया जाए।

विभिन्न प्रकार के मॉडलों के विकास के लिए अनेक व्यावहारिक प्रस्ताव उपलब्ध हैं, जैसे विद्यालय आधारित मॉडल, समुदाय आधारित मॉडल, शास्त्र अभिमुख मॉडल, एकीकृत मॉडल, व्यापक मॉडल आदि। अकादमिक तथा व्यावसायिक प्रणाली के अध्यापकों की तैयारी के लिए निस्संदेह एकीकृत तथा व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करना होगा। स्तर विशेष तथा आवश्यकता विशेष के अनुरूप मॉडल विकसित करने होंगे।

यह कार्यदल श्री. कीरीत जोशी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा २३ मई, १९८१ को अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनरावलोकन, विशेष रूप से मूल्य शिक्षा प्रोत्साहन हेतु, संगठित किया गया | इस कार्यदल के संदर्भ बिंदु निम्नलिखित थे:

- क) शिक्ष में मूल्य उन्मुखीकरण के वर्तमान विषयवस्तु तथा क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन सुझाना, विशेषकर छात्रों व अध्यापकों में सर्वोच्च शारीरिक, भावात्मक मानसिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास व उन्नयन की आवश्यकता सुनिश्चित करना साथ-ही-साथ विशेष रूप से उने अद्वितीय भारतीय मूल्यों जो धर्मनिरपेक्षता पारंपरिक गौरव एवं संयुक्त संस्कृति को प्रोत्साहित करना;
- ख) राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन हेतु कार्यक्रम सुझाना.
- ग) वांछित मूल्य उन्मुखीकरण प्रदान करने हेतु अध्यापक-छात्रों के लिए पाठ्यचर्या विषय वस्तु सुझाना;
- घ) मूल्य उन्मुखीकरण प्रशिक्षण हेतु शिक्षण के विशेष तकनीक सुझाना ;
- ङ) सेवारत शिक्षकों के सेवारत कार्यक्रमों द्वारा पुनोन्मुखीकरण हेतु योजनाएं सुझाना ;
- च) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए तरीके सुझाना ;
- छ) वांछित प्रयास के पक्षों को आंकना तथा सरकारी निवेश की मात्रा इंगित करना ;

ज) केवल भाषण के बजाए अध्यापकों की सलाहकार व मार्गदर्शक के रूप में नई भूमिकाओं को निर्धारित करने हेतु सुझाव देना ; तथा

झ) समय की चुनौतियों के संदर्भ में नई शैक्षिक सामग्री तैयार करने की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का निर्धारण करना ।

प्रत्यक्ष अनुभव व नई शिक्षा विधियों द्वारा अध्यापकों को अपनी नई भूमिका के प्रति प्रशिक्षण देने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सीखने का एक नया कार्य प्रारूप प्रेषित किया गया । इस प्रारूप में मूल्यांकन का एक नया तंत्र सुझाया गया जिसमें न केवल लिखित, परंतु मौखिक परीक्षा के अतिरिक्त, शिक्षार्थी द्वारा विशिष्ट विषय में ज्ञान प्राप्ति का पूर्ण विवरण सहित प्रायोजन प्रेषित करनी होती है वरन् व्यक्तित्व विकास हेतु किए गए विशेष कार्य एवं उच्च आदर्शों व मूल्यों के प्रति गंभीर चिंतन व प्रतिबद्धता सम्मिलित किया जाना भी सुझाया गया है ।

कार्यदल ने भारत तथा भारतीय मूल्यों से संबंधित नए अध्ययन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए । इस कार्यक्रम के तीन भाग हैं । पहला, भारतीय इतिहास का सूक्ष्म परिचय कराता है जिसमें दर्शन, विज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता तथा कला के क्षेत्र में महान नेताओं तथा शौर्य एवं शूरवीरों के अध्ययन पर बल दिया जाता है । स्वतंत्रता संग्राम की कहानी तथा समानांतर समस्याओं व प्राप्ति का विस्तृत विवरण का भी यह प्रावधान करता है । इसका दूसरा भाग भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों का उल्लेख कर भारतीय धर्म व आध्यात्मिकता, भारतीय साहित्य, भारतीय कला, लोकनृत्य, हस्तकला, भारतीय दर्शन व विज्ञान, भारतीय उत्सव, खेल तथा भारतीय सभ्यता में शौर्य विषयों के प्रति सामान्य ज्ञान प्रदान करता है । पारंपारिक भारत विषय के अध्ययन पर यह विशेष बल देता है । इसका तीसरा भाग छात्रों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन से संबंधित है जैसे – ‘भारत की अनेकता में एकता’, ‘धर्मनिरपेक्षता’, ‘सहनशीलता’, तथा ‘भारतीय संस्कृति में समन्वय’, ‘भारत की समाजिक बुराईयों का निदान’ तथा ‘भारत एवं प्रगति के नए मार्ग’ ।

इसने वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए युद्धनीतियों की चर्चा भी की ।

१) इस रिपोर्ट में प्रस्तावित मूल्य शिक्षा संबद्धित पाठ्यचर्चा तथा भारतीय संस्कृति के अध्ययन का सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में तुरंत कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ।

२) इस प्रतिवेदन के अनुरूप प्रशिक्षण संस्थानों को पुनर्संगठित करने तक, अंतरिम रूप में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में तीन नए पेपर

अ) मूल्य उन्मुखीकरण शिक्षा दर्शन व ब) मनोविधान तथा क) भारत व भारतीय मूल्य

वर्तमान तीन निर्धारित अन्य ऐच्छिक पेपरों के स्थान पर पढ़ाए जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन में सुझाए गए अन्य तत्वों को भी यथासंभव सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

३) साथ ही साथ अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो नए प्रावधानों को सम्मिलित करने के तुरंत प्रयास किए जाने चाहिए ;

i) उच्चतर माध्यमिक के पश्चात शिक्षा में स्नातकोत्तर, उपाधि तक पांच वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम तथा

ii) शिक्षा में पांच वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधी के प्रथम तीन वर्षों के पश्चात दो-वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम । इन कार्यक्रमों को इस प्रतिवेदन में सुझाए गए विद्विपरक विचारों एवं मूल्य उन्मुखीकृत पाठ्यचर्चा के आधार पर आयोजित किए जाएं ।

४) ऐच्छिक आधार पर दो वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि छात्र इस पूरे कार्यक्रम को दो चरणों में कर सकें । पहला भाग एक वर्ष की अवधि में तथा दूसरा चरण पांच वर्षों से अधिक अवधि का न हो जिसमें छात्र दूसरे वर्ष का कार्यक्रम ग्रीष्म पाठ्यक्रम अथवा अन्य लघु अवधि पाठ्यक्रमों द्वारा पूरा कर सकें । पहले वर्ष का कार्यक्रम पूरा करने पर शिक्षकों को प्रोबेशन पर नियुक्त किया जा सकता है ।

५) इस प्रतिवेदन में सुझाए गए नए विचारों तथा मूल्यों के आधार पर प्रत्येक राज्य में एक एक मूल्य उन्मुखीकृत प्रणेता एवं गतिनिर्धारक संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जो अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप प्रयोग किए जा सकते हैं ।

- ६) भारत में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के स्टाफ को विशेष रूप से शिक्षित करने के लिए अध्यापक शिक्षा के कुछ राष्ट्रीय संस्थान संरचित व स्थापित किए जाने चाहिए ।
- ७) अध्यापक छात्रों के मूल्यांकन हेतु एक ऑल इंडिया पब्लिक परीक्षा स्थापित की जानी चाहिए जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षा तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान हो जिनका विशेष बल श्रेष्ठता, मूल्य शिक्षा तथा भारत व भारतीय मूल्यों की अच्छी जानकाही प्रोत्साहित करना हो ।
- ८) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में बुरी तरह से उभर रही बुराईयों व त्रुटियों के निराकरण हेतु कदम उठाए जाने चाहिए ।
- ९) उक्त सुझावों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा , अपने समवर्ती अधिकारों के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय संगठन गठित किया जाना चाहिए जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए ।
- क) देश में सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों व संस्थानों के पुररीक्षण तथा शिक्षण अनुसंधान व मूल्यांकन के उच्च स्तर बनाए रखने का दायित्व निभाना ताकि इस प्रतिवेदन के अनुरूप मनोवृत्ति, कौशल एवं व्यक्तित्व विकसित कर शिक्षक की वांछित छबि प्रदर्शित हो ।
- ख) भारत में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के स्टाफ की विशेष शिक्षा के विशेष शिक्षा के लिए
- i) एक अध्यापक शिक्षा संस्थान को स्थापित करना व बनाए रखना; तथा
- ii) प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा हेतु एक – एक प्रगतिपरक संस्थान स्थापित करना जो प्रशिक्षण तथा क्षेत्र में नए विचारों व मूल्यों को परिलक्षित करने हेतु केंद्रों के रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए ।
- ग) अध्यापक शिक्षा में आवश्यक समन्वयक तथा शिक्षण, परीक्षण एवं अनुसंधान में उच्च मानदंड बनाए रखने तथा समस्याओं के प्रति चिंतन उजागर करने के लिए वित्तीय, भौतिक तथा मानवीय सहयोग व मार्गदर्शन का प्रावधान करना ।
- घ) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों व उनके द्वारा प्रदान उपाधियों को मान्यता प्रदान करने या उन्हें अमान्य घोषित करने की शक्तियों सहित मान्यता प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ।
- ङ) वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थानों को परिषद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप बनाने हेतु कार्यवाही कार्यक्रम बनाना तथा कार्यान्वित करना ।
- च) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य में उच्च मानक प्रोत्साहित करने के लिए, दृष्य-श्राव्य सहायक सामग्री तथा आवश्यक शैक्षिक टेक्नॉलॉजी के प्रयोग सहित, विभिन्न प्रकार की स्रोत सामग्री तैयार व मुद्रित करना ।
- छ) परिषद के उद्देश्यों, कार्यभारों तथा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनारों, सभाओं, व गोष्ठियों तथा समितियों व पेनल आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना ।
- ज) इस प्रतिवेदन के सुझावों के अनुरूप परिषद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य सहायक कार्यों को करना ।

प्रस्तावित संगठन को स्थापित करने के लिए भारत सरकार को अपनी समवर्ती शक्तियों के अंतर्गत विनियमन बनाना चाहिए तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय संगठन को केंद्रीय सरकार की पूर्ण वित्त सहायता मिलनी चाहिए ताकि यह अपने कार्यों को करने योग्य हो तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके ।

प्रस्तावित राष्ट्रीय संगठन को मूल्य उन्मुख अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए । इस कार्यान्वियन में सबसे पहला कार्य अध्यापक प्रशिक्षकों के शिक्षकों को तैयार करना है । इस उद्देश्य हेतु उन अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए जो प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम लेने में सक्षम व इच्छुक हों । इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रगतिपरक मूल्य उन्मुख संस्थानों तथा अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए ।

इस प्रतिवेदन में सुझाए गए मूल्य उन्मुख कार्यक्रमों को प्रगतिपरक संस्थानों में पूर्ण रूप से चलाया जाना चाहिए जिसकी परिकल्पना प्रस्तावित राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में की गई है । इन संस्थानों के लिए दो तंत्र सुझाए गए हैं । पहले प्रारूप के अंतर्गत उन + २ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो पांचवर्षीय मूल्य उन्मुख अध्यापक प्रशिक्षण स्नातकोत्तर कार्यक्रम को पुरे समय में करने के इच्छुक हैं । दुसरी प्रणाली में प्रस्तावित राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी होंगे जो इन प्रणेत संस्थानों में दो वर्षीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना

चाहते हों जिन्होंने किसी भी विषय में तीन वर्ष का उपाधि पाठ्यक्रम अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो। हमारा यह भी सुझाव है कि अन्य अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में भी, जहाँ तक संभव हो, कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

हमारा यह भी सुझाव है कि एक दो वर्षीय ऐसे ऐच्छिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का प्रावधान होना चाहिए। ताकि अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम को दो चरणों में पूरा कर सकें। पहला, संस्थान में एक वर्ष की अवधि में तथा दूसरा, द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम अनेक संबंधित संस्थानों द्वारा आयोजित विशेष ग्रीष्मावकाश अथवा लघु पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिक-से अधिक पांच वर्षों के भीतर पूरा कर सकें। पहले वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अध्यापकों को प्रोबेशनरी अध्यापक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाए तथा उनको तभी स्थाई बनाया जाए जब वे दूसरे वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लें।

उद्धृत दस्तावेजों की सूची

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (१९४८-४९) रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू देहली।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (१९६३) कमीटी ऑन एजुकेशन एज.एन. इलेक्टिव सबजेक्ट एट द अंडर ग्रेजुएट स्टेज यू.जी.सी., न्यू देहली।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (१९८३) रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप टू रिवायू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम (इन द लाइट ऑफ द नीड फॉर वैल्यू-ओरियेन्टेशन) मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, न्यू देहली।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (१९८६) नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, न्यू देहली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (१९८८) नेशनल करीक्यूलम फॉर टीचर एजुकेशन, : नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, न्यू देहली।